



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122021-231885
CG-DL-E-15122021-231885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4835]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2021/अग्रहायण 24, 1943

No. 4835]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021/AGRAHAYANA 24, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5216(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-173 के निर्माण (चौड़ाई / चार लेन, आदि), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अनुसूची के क्रमशः उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-173 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग, के.आर. सर्कल, बैंगलोर 560001	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-173 के कि.मी. 24.6 से 70.063 तक	कर्नाटक	चिकमगलूर	कदर	1 हस्तिनापुर

[फा. सं. RW/NH/12014/7/2016/KNT(P-6)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2021

S.O. 5216(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening / four-laning, etc), maintenance, management, and operation of the National Highways No. 173 in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. National Highways-173 in the State of KARNATAKA.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Officer and Competent Authority National Highways, K.R. Circle, Bangalore 560001	24.6KM To 70.063KM	KARNATAKA	CHIKKAMAGALURU	Kadur	1 Hasthinapura

[F. No. RW/NH/12014/7/2016/KNT(P-6)]

RAJESH GUPTA, Director